

एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होंगे औद्योगिक क्षेत्र

विकास की राह

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

प्रदेश में एक्सप्रेस-वे के किनारे एक-एक किलोमीटर के दायरे में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। एक्सप्रेस-वे के किनारे भूमि अधिग्रहण में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए भूमि अधिग्रहण एक्ट में बदलाव कर सरल किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में निष्प्रयोज्य एवं खंजर भूमि पर औद्योगिक गतिविधियाँ शुरू की जाएंगी। ललितपुर, हमीरपुर तथा औरंगा में 1483 एकड़ भूमि के अर्जन की कार्यवाही चल रही है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने यह बात सोमवार को विधान भवन में औद्योगिक लैण्ड बैंक में वृद्धि



सोमवार को औद्योगिक लैण्ड बैंक में वृद्धि के लिए गठित समिति की बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और वरिष्ठ अधिकारी।

के लिए गठित समिति की बैठक में कहा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक भूमि अधिग्रहण एक्ट को और अधिक सरल बनाया जाएगा। इसके लिए प्रचलित नीति में आवश्यक संशोधन भी किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि

सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने यहां भूमि चिन्हित का लैण्ड बैंक तैयार कर दें, ताकि उद्यमियों की मांग के अनुरूप उनको भूमि का आवंटन किया जा सके। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस-वे के किनारे भूमि अधिग्रहण

महाना बोले, जेवर एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए 250 एकड़ जमीन उपलब्ध

श्री महाना ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट के पास 250 हेक्टेयर भूमि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए उपलब्ध है। मेडिकल पार्क के लिए 350 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के क्रम में फिल्म सिटी के लिए 1000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से निवेश मित्र चार्टर के माध्यम से इन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के निकट 100 हेक्टेयर क्षेत्र में जेफपीज इलेक्ट्रॉनिक सिटी डेवलप करने की भी योजना है। बैठक में अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार, मुख्य कार्यपालक यूपीसीडा मयूर महेश्वरी, मुख्य कार्यपालक नोएडा अचारीटी रितु महेश्वरी, सीओ ग्रेटर नोएडा नरेन्द्र भूषण तथा सीओ यमुना अचारीटी अरुण वीर सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में सरप्लस औद्योगिक भूमि के उपयोग के लिए नीति बनाई जाएगी। नीति निर्धारण के लिए उन्होंने अपर मुख्य सचिव

औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। इस समिति में यूपीसीडा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक सदस्य होंगे।